

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 578]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 नवम्बर 2020 — कार्तिक 20, शक 1942

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 नवम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-03/2020/सात-4.— छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तहसील की सीमाओं को परिवर्तित, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नवीन तहसील सृजित तथा इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 13 द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात :-

अनुसूची

स.क.	जिला	वर्तमान तहसील	नवीन तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	नवीन तहसील की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	जांजगीर-चांपा	चांपा	सारागांव	राजस्व निरीक्षक मण्डल सारागांव के पटवारी हल्का नंबर 06, 09, 10, 11, 12, 13 एवं 16 के कुल 23 ग्राम। राजस्व निरीक्षक मण्डल बम्हनीडीह के पटवारी हल्का नंबर 08, 17, 18 एवं 19 के कुल 10 ग्राम। 02 राजस्व निरीक्षक मण्डल, 11 पटवारी हल्का नम्बर, 33 ग्राम, 23 ग्राम पंचायत, 01 नगर पंचायत। अतः कुल 11 पटवारी हल्के के 33 ग्राम नवीन तहसील “सारागांव” में शामिल होंगे।	उत्तर — तहसील करतला दक्षिण — प्रस्तावित तहसील बम्हनीडीह पूर्व — प्रस्तावित तहसील बाराद्वार पश्चिम — तहसील चांपा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम.डी.दीवान, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 11th November 2020

NOTIFICATION

No. F 11-03/2020/Seven-4.— In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) of section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), Notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the said Code, the State Government alters the limits of Tehsil specified in column (3), creates a new Tehsil specified in column (4) and defines the limits thereof as specified in Schedule below, the same having been previously published as required by Section 13 of the said Code, namely :-

SCHEDULE

S.No.	District	Present Tehsil	New Tehsil	Nature of Change	Boundaries of new Tahsil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Janjgir - Champa	Champa	Saragaon	Total 23 villages of Patwari Halka No. 06, 09, 10, 11, 12, 13 and 16 of Revenue Inspector Mandal Saragaon. Total 10 villages of Patwari Halka No. 08, 17, 18 and 19 of Revenue Inspector Mandal Bamhndih. 02 Revenue Inspector Mandal, 11 Patwari Halka No., 33 Villages, 23 Gram panchyats, 01 Nager panchayat. Hence, 33 villages of total 11 Patwari Halka shall be included in new Tehsil "Saragaon"	North - Tehsil Kartala South - Proposed Tehsil Bamhndih East - Proposed Tehsil Baradwar West - Tehsil Champa

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M.D.DIWAN, Joint Secretary.